न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़ जिला जयपुर
वाद संख्या 188/2011 नये वाद संख्या 123/2019

श्रीमति लक्ष्मी कुमारी पुत्री फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी खेड़ा हाउस, 29 गंगवाल पार्क जयपुर जिला जयपुर (दौराने वाद फौत)

1. विक्रम सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह
2. भरत सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह
3. राजश्री पुत्री श्री नरपत सिंह

समस्त् जाति राजपूत निवासीयान् खेड़ा हाउस, 29 गंगवाल पार्क जयपुर जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आंधी जिला जयपुर ।
2. उम्मेद सिंह पुत्र स्व.श्री फतेह सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सानकोटडा हालनिवासी सानकोटडा हाउस सांगानेरी गेट जयुपर ।
3. जगत सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सानकोटडा हालनिवासी सानकोटडा हाउस सांगानेरी गेट जयुपर ।
4. मांगीलाल पुत्र घासीराम जाति मीणा निवासी ग्राम सानकोटडा तहसील आंधी जिला जयपुर ।
5. कुलदीप सिंह पुत्र स्व.श्री फतेह सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सानकोटडा हालनिवासी सानकोटडा हाउस सांगानेरी गेट जयुपर ।

प्रतिवादीगण

दावा सीमा घोषणा

निर्णय दिनांक 14/1/23

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़ जयपुर

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से पूर्व में हीं एक तरफा कार्यवाहीं अमल में लाई जा चुकी हैं। वादीगण वकील को एकतरफा सुना गया। वकील वादीगण ने दौराने बहस कथन किया कि उक्त वाद सीमा घोषणा, नक्शा तरमीम से संबंधित हैं। जिसका निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2012 एवं इजराय आदेश दिनांक 10.10.2014 को किये गये जिसकी अपील प्रतिवादी संख्या 2 के करने पर राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पूर्व में किये गये निर्णय को निरस्त कर सभी पक्षकारों को पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय करने हेतु पत्रावली रिमाण्ड की गई हैं। उक्त पत्रावली में हितबद्ध पक्षकार बनाये जाकर उनकी तरफ से जवाब दावा पेश किया गया जिसका काउन्टर जवाब दिया गया जिसके तहत तनकीयात कायम की गई तथा प्रतिवादी संख्या 5 ने आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत पक्षकार बनकर काउन्टर दावा पेश किया जिसे प्रतिवादी संख्या 5 ने जरिये अधिवक्ता सत्यपाल गुर्जर के साथ उपस्थित होकर अपना प्रतिदावा दिनांक 22.12.2022 को वापस ले लिया जिसके उपरान्त कोई भी प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिये उपस्थित नहीं रहे। उक्त वाद में वर्णित भूमि खसरा नंबर 323 मिन रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 562 रकबा 1.27 हैक्टेयर,

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़ जयपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़

खसरा नंबर 565/682 रकबा 4.52 हैक्टेयर, खसरा नंबर 564 रकबा 0.9400 हैक्टेयर कायम कर नक्शा तरमीम गलत की दी गई जिसका निर्णय दिनांक 14.05.2012 को किया जाकर सीमा घोषणा कर राजस्व नक्शें में तरमीम करने के आदेश दिये गये जिसकी पालना नहीं होने पर इजरा पेश की गई तथा इजरा के तहत तहसीलदार से रिपोर्ट चाहीं गई जो रिपोर्ट दिनांक 19.08.2014 को मय नक्शा विस्तृत रिपोर्ट गत खसरा नंबर 323 के मूल खसरा नंबर 1396 की प्रस्तुत की गई जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली में संलग्न कर दी गई हैं एवं नक्शे में संकेत नंबर 1 लाल स्याहीं से घेरा गया क्षेत्रफल खसरा नंबर 1396 का भू–प्रबन्ध सम्वत् 2008 का हैं जिसका कुल रकबा 91 बीघा 14 बिस्वा हैं। संकेत नंबर 2 नीली स्याही से लिखे गये नंबर सम्वत् 2008 के हैं। संकेत नंबर 3 काली स्याहीं से लिखे गये नंबर भूमि एकीकरण सम्वत् 2021 के हैं। संकेत नंबर 4 नारंगी रंग से घेरा गया क्षेत्रफल खसरा नंबर 1397/1 का हैं जो भूमि एकीकरण के खसरा नंबर 323 में शामिल किया गया हैं। संकेत नंबर 5 हरें रंग से दर्शाया गया क्षेत्रफल भूमि एकीकरण के खसरा नंबर 323 का हैं जो गलती से खसरा नंबर 438 के नक्शें में शामिल किया गया हैं। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट हैं कि वादीगण की भूमि दौराने सेटलमेन्ट के समय से खातेदारी में रहीं हैं व मूल खसरा नंबर 1396 व 1397/1 तरमीम शुदा नंबर हैं तथा उक्त पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट व नक्शा से स्पष्ट हैं कि वादीगण की खातेदारी पूर्व से तरमीम शुदा खसरा नंबर 1396 व 1397/1 की भूमि में हीं हाल खसरा नंबर 562,564,565/682 की तरमीम होनी चाहिये जिसके वादीगण अधिकारी हैं। उक्त अनुरूप नक्शा दुरूस्त किया गया नक्शा ट्रेस पत्रावली में संलग्न हैं। उक्त अनुरूप हीं वादीगण की तरमीम किया जाना आवश्यक हैं। वादीगण ने अपनी साक्ष्य में दस्तावेज प्रस्तुत कर रखें हैं जो जमाबंदी, नक्शा एकीकरण, मिलान क्षेत्रफल व दुरूस्त किये गये नक्शे की नकल पेश हैं। प्रतिवादीगण की ओर से काउन्टर दावें के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य सबूत ऐसे पेश नहीं किये गये हैं जिनसे लक्ष्मीकुमारी की खातेदारी निरस्त कर प्रतिवादीगण के नाम लगायी जा सके। लिहाजा वादीगण का वाद उक्त तथ्यों अनुसार डिक्री किया जावें

क्रियानन्वंती आदेश

वकील वादी की बहस सुनी गई । बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर वादी के वाद को डिकी किया जाना उचित समझते है । अतः वाद वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा डिकी किया जाता है। तहसीलदार आंधी निर्देशित किया जाता है कि ग्राम सानकोटडा तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी मे स्थित खसरा नम्बर 323 रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा की सीमा घोषणा कर राजस्व नक्शे मे तरमीम करने के आदेश दिये जाते है ।

निर्णय आज दिनांक 14/08/23 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

14/08/23
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18 – 21)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जमवारामगढ बइजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S

द संख्या 188/2011 नये वाद संख्या 123/2019

श्रीमति लक्ष्मी कुमारी पुत्री फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी खेड़ा हाउस, 29 गंगवाल पार्क जयपुर जिला जयपुर (दौराने वाद फौत)

1. विक्रम सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह
2. भरत सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह
3. राजश्री पुत्री श्री नरपत सिंह

समस्त् जाति राजपूत निवासीयान् खेड़ा हाउस, 29 गंगवाल पार्क जयपुर जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आंधी जिला जयपुर ।
2. उम्मेद सिंह पुत्र स्व.श्री फतेह सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सानकोटडा हालनिवासी सानकोटडा हाउस सांगानेरी गेट जयुपर ।
3. जगत सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सानकोटडा हालनिवासी सानकोटडा हाउस सांगानेरी गेट जयुपर ।
4. मांगीलाल पुत्र घासीराम जाति मीणा निवासी ग्राम सानकोटडा तहसील आंधी जिला जयपुर ।
5. कुलदीप सिंह पुत्र स्व.श्री फतेह सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सानकोटडा हालनिवासी सानकोटडा हाउस सांगानेरी गेट जयुपर ।

प्रतिवादीगण

दावा सीमा घोषणा

अन्तिम डिर्की — दिनांक 14.8.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री चिमनलाल मीना आर० ए० एस० व हाजिरी श्री रामकरण शर्मा, श्री सत्यपाल गुजर एडवोकेट पेरोकार सरकार भिनजातिय मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार आंधी को ग्राम सानकोटडा तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी मे स्थित खसरा नम्बर 323 रकबा 22 बीधा 18 बिस्वा की सीमा घोषणा कर राजस्व नक्शे मे तरमीम करने के आदेश दिये जाते है ।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बवतुहजराय हुक्मनामा			ववतुहजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ